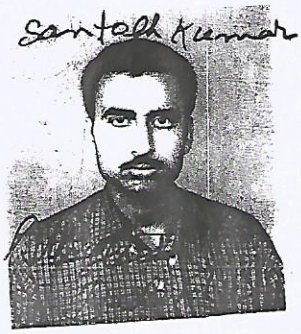



02CC 930631



1 लेख्यकारीगण का नाम एवं पूरा पता:–

1. श्री संतोष कुमार पिता– स्व0 कपिलदेव सिंह,

2. श्रीमती सयुक्ता देवी धर्मपत्नि– स्व0 कपिलदेव सिंह पेशा– खेती वो गृहणी,साकिन– दानापुर बिचलीगली (कुर्मी टोला) थाना वो पोस्ट– दानापुर जिला– पटना, भारतीय नागरिक।

36000/-

36000/-

श्री मती दुर्गा शर्मा

श्री सच्चिदानन्द

फदमकुआं

पटना

217
20.6.03

Saurabh Kumar



सौ० संतोष कुमार
ता० 5/8/2003

7.8.03

7.8.03

पुत्र/पुत्री/श्रीमती संतोष कुमार व संयुक्ता देवी

के जिम्मेदारी पहचान प्रमाण

श्री संतोष कुमार

निवास का प्रमाण पत्र

के लिये तैयार का निवेदन

प्रमाणित किया।

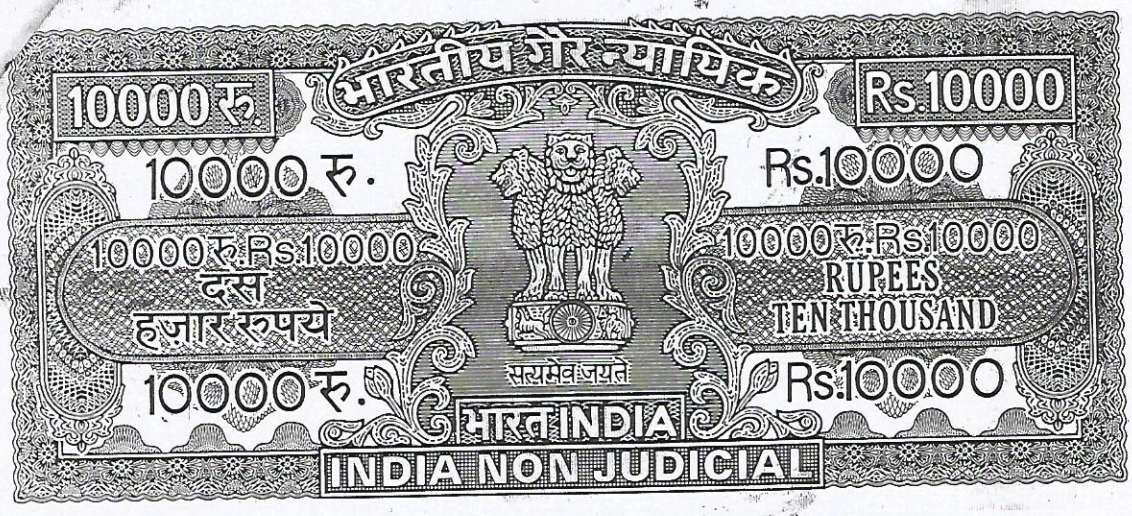
11201.22/03

संतोष कुमार
7/08/2003

11301.22/03

संयुक्ता देवी

7/8/03




04AA 429559






2. लेख्यधारिणी का नाम एवं पूरा पता :–

श्रीमती दुर्गा शर्मा धर्मपत्नि– श्री सच्चिदानन्द पेशा– खेती वो गृहणी वो ~~व्यवसाय, निवासी महल्ला–~~ "शेरपुर" निवास जगतनारायण लाल रोड़ कदमकुआँ पटना, थाना वो पोस्ट– कदमकुआँ, जिला– पटना भारतीय नागरिक।

3. लेख्य प्रकार :–

निर्विवाद बिक्रय–पत्र (Deed of Absolute sale)

4. मूल्य :–

मो0 2,33,000/– ~~दो लाख तेतीस हजार रुपया मात्र होता~~ है।

5. सम्पत्ति का विवरण:–

मवाजी 2 कटठा 5 धुर (दो कट्ठा पाँच धुर) यानी 3062 वर्गफीट भूमि आवासीय मकान बनाने के लायक जिसका अधिकार कास्त रैयती कायमी नगदी वाके मौजा दानापुर शाहजादपुर, परगना फुलवारी, थाना वो सब रजिष्ट्री दानापुर, सदर रजिष्ट्री वो जिला पटना। तौजी नं0– 5402 पाँच हजार चार सौ दो ~~थाना नं0– 21~~ एक्कीस, ~~खाता नं0– 384~~ तीन



लेखा सतीश कुमार
ता०– 5/08/2003

दाहिना हाथ की सभी अंगुलियों के निशान समेत दस्तखत कुल संख्या
ता– 4–7–2003

INDIA NON JUDICIAL
५००० रु.
Rs 5000
सत्यमेव जयते
भारत
पाँच हजार रूपये FIVE THOUSAND RUPEES



सौ चौरासी सर्वे खेसरा प्लौट न0–1652 एक हजार छः सौ बावन का अंश, लगान वार्षिक 1.25 रूपया अलावे सेस बिहार सरकार द्वारा अंचलाधिकारी, दानापुर, अन्दर विकास प्राधिकार क्षेत्र पटना में स्थित है । यह कि खाना न0 5 में वर्णित भूमि को बिक्री खरीद हेतु लेखबंकारीगण एवं लेखबंधारिणी ने तारीख– 26–04–2003 ई0 को सक्षम पदाधिकारी, भू हदबंदी (उप–समाहर्त्ता) पटना के कार्यालय में आवेदन दिया है, जिसका कमांक 3911/2003 ई0 है। साठ दिनों की अवधि समाप्त है। कोई आपत्ति नहीं है। कार्यपालक दण्डाधिकारी दानापुर का शपथ पत्र वोसिका के साथ संलग्न है। यह भूमि खास महाल के बाहर है। यह भूमि मेन बेली सेड, दानापुर से करीब एक हजार फीट से अधिक दूरी पर स्थित है। जमाबंदी न0– 3413 वो 3414 सन 2001–2002 ई0 है।

अ/ई० सं० कार्यालय केस्ट
सं० - 5/04/2003

सोनल कुमारी
दानापुर विधायिका
अंचल दानापुर पटना
मजिस्ट्रेट सक्षम प्राधिकार
5/8/2003

AKSingh






## चौहद्दी

उत्तर :— नीज लेख्यकारीगण श्री संतोष कुमार एवं श्रीमती संयुक्ता देवी पार्ट प्लौट नं0 1652

दक्षिण :— नीज हाल में साथ खरीदार श्रीमती धर्मशीला देवी जौजे सुदर्स कुमार सिंह पार्ट प्लौट नं0 1652

पुरब :— बीस फीट चौड़ा रास्ता जिसमें दस फीट चौड़ा रास्ता विकेतागण अपने जमीन में से छोडे है, जो प्लौट नं0 1654, 1655 एवं 1652 में से होकर मुख्य सड़क में मिलती है। रास्ता प्लौट नं0 1652 1654 एवं 1655 में छोडे है बाद पुनम गृह निर्माण समिति लि0 पटना।

पश्चिम :— प्लौट नं0 1641 वो 1629 श्री विन्देश्वरी प्रसाद सिंह हाल खरीदार दिगर।

## संदर्भ

विदित हो कि खाना नं0 5 में वर्णित जायदाद (जमीन) लेख्यकारी नं0 1 का पैतृक एवं लेख्यकारी नं0 2 का पति का पैतृक सम्पत्ति है। जिसे लेख्यकारी के पति एवं भाई श्री गुरूदेव सिंह, पिता श्री रामचन्द्र सिंह, एवं माता– श्रीमती अजनाशो कुवँर, को तारीख– 03–08–1970 ई0 को श्री राम

संतोष कुमार
21/08/2007

निबंधन द्वारा बॉटकर खाना नं0 5 में वर्णित खाता खसरा कि कुल एराजी एक एकड़ आठ डीसमील खास हिस्सा में मिला था जिसका बुक नं0 1, जिल्द नं0 25, पेज नं0 567 से 574 वोसिका नं0 6330 निबंधन कार्यालय दानापुर है। बाद में श्री कपिल देव सिंह अपने माता पिता के स्वर्गवास के बाद पुनः श्री गुरूदेव सिंह भाई से आपस में बॉटवारा कर अलग हो गये, जिसमें खाना नं0 5 में वर्णित खाता खेसरा में एराजी 54 डीसमील के अलावा अन्य जायदाद खास हिस्सा में मिला। बाद में श्री कपिल देव सिंह तारीख– 25–10–1991 ई0 को अपनी धर्मपत्नि– श्रीमती संयुक्ता देवी अभिभावक नाबालिग ~~पुत्र संतोष कुमार~~ से खाना नं0 5 में वर्णित खाता खेसरा के कुल एराजी के साथ सभी जायदाद का बॉटवारा कर अलग हो गये। लेख्यकारी नं0 1 अपने पिता के स्वर्गवास के बाद उनके जायदाद पर तथा लेख्यकारी नं0 2 अपने हिस्सा में मिले सभी जायदाद को हर तरह से अपने

A.K.Singh

कब्जा दखल वो अधिकार में रखकर तथा मालिक होकर उपभोग करते चले आ रहे है। लेख्यकारीगण के अलावे ~~दूसरा~~ कोई भी व्यक्ति खाना नं0 5 में वर्णित जायदाद के अधिकारी एवं मालिक नहीं है। खाना नं0 5 में वर्णित जायदाद हर तरह से शुद्ध वो पवित्र तथा ऋण मुक्त है। ~~लेख्यकारीगण खाना नं0 5 में वर्णित जायदाद को~~ कभी भी किसी के साथ रेहन, बैय तमसुक या किसी तरह का निबंधन नहीं किया है। बिहार सरकार का लगान श्री कपिल देव सिंह एवं ~~लेख्यकारिणी~~ नं0-2 रसीद कटा कर चुकाते चले आ रहे है। लेख्यकारीगण को मकान बनाने, व्यवसाय करने एवं अन्य जरूरी ~~काम~~ के लिए रूपयों की सख्त जरूरत है। बिना खाना नं0 5 में वर्णित जायदाद को बेचे हुए शीघ्र ~~लेख्यकारीगण को रूपयों का प्रबन्ध~~ नहीं हो सकता है।

अतः लेख्यकारीगण ने अपने खुशी वो खाहिश से अपने होश वो ~~हवाश में अपने हानि-लाभ को बखुबी सोच विचार~~ कर स्वस्थ मानसिक अवस्था में, अच्छे माननीय वो कानूनी मशविरान से राय सलाह लेकर खाना नं0 5 में वर्णित ~~जायदाद को मो0 2,33,000/-~~(दो लाख तेतीस हजार रूपया) मात्र में लेख्यधारिणी (खरीदारा) के हाथ एवं साथ

D.K. Singh

सुनील कुमार
5/8/2008

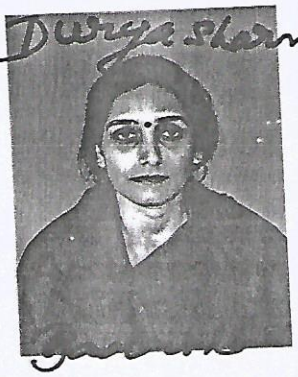
5/8/2008

बेचा वो बैयलाकलामी किया वो कुल रूपया वोसिका पर अपना हस्ताक्षर बनाने के पहले लेख्यधारिणी से वसुल वो बेवाक पा चुका।

इस प्रकार कुल रूपया पाकर आज से ही लेख्यकारीगण ने अपना कुल कब्जा दखल वो अधिकार स्वामित्व वो स्वत्व खाना न0 5 में वर्णित जायदाद पर लेख्यधारिणी (खरीदारा) को दे दिया कि लेख्यकारीगण के स्थान पर हर तरह से काबिज–दखिल वो अधिकृत तथा मालिक होकर उपयोग एवं उपभोग करें। अब खाना न0 5 में वर्णित जायदाद पर लेख्यकारीगण या इनके वारिशान का कोई दावा–दावी वो सरोकार बाकी नहीं है, नहीं रहा, नहीं रहेगा, बल्कि सम्पूर्ण हक वो अधिकार, स्वामित्व वो स्वत्व जो खाना न0 5 में वर्णित जायदाद पर लेख्यकारीगण को प्राप्त था या भविष्य में प्राप्त होता बिककर लेख्यधारिणी को प्राप्त हुआ कि काविज–दखिल वो अधिकृत तथा मालिक होकर अपना नाम लेख्यकारीगण के स्थान पर हर जगह जहां–जहां जरूरी समझे बिहार सरकार की जमीन्दारी विभाग की पुस्तिका में दर्ज करा लेवें। इसमें लेख्यकारीगण को कोई आपत्ति नहीं है, नहीं होगा।

A K Singh

Durga Sharma





दुर्गा शर्मा



अगर खरीदारा किसी तरह लेख्यकारीगण के नुक्श हकियत से खाना न0 5 मे वर्णित जायदाद के थोड़ा या पुरा भाग से बेदखल हो जाये तो हक वो अधिकार है वो होगा कि कुल जरसम्मन सूद कानूनी लगाकर लेख्यकारीगण के आनुपातिक सम्पत्ति से द्वारा नालिश अदालत कराके खर्चा–हरजा सहित वसुल वो बेबाक करा लेवेगें। इसमें लेख्यकारीगण को कोई आपत्ति नहीं है, नहीं होगा। इसलिए निर्विवाद बिक्रय पत्र लिख दिया कि समय पर प्रमाण रहे वो काम आवें।

प्रमाणित किया जाता है कि मूल वोसिका एवं द्वितीय प्रति दोनों आठ पृष्ठों में तैयार किया गया है, जो हू–बहू एक दुसरे के समान है, एवं लेख्यकारीगण एवं लेख्यधारिणी ने अपने–अपने बायें हाथ के अंगुलियों का निशान मेरे सामने बनाया।

दिनांक 05-08-2003

बद्री लाल

प्रारूपकर्त्ता

बद्री लाल ला०-चाँदमारि हाल में मैनपुरा
थाना-दानापुर-पटना।

A K Singh

साक्षी हस्ताक्षर कुमार
ता० - 5/08/2003

गोपनीय प्रतिवेदन

# अंचल पदाधिकारी का कार्यालय

## ( भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र )

नाम ..... ग्राम .....

थाना ..... जिला .....

| ग्राम का नाम एवं थाना संख्या | तौजी संख्या | खाता संख्या | खसरा संख्या | रकवा | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | एकड़ | डि० |
| | | 384 | 165-2 | 5.44 | |

आवेदक का हस्ताक्षर

कार्यालय का मुहर

कर्मचारी का प्रतिवेदन

अंचल पदाधिकारी का हस्ताक्षर

नाम सर्कल। नाम मौजाम्मय थाना वो थाना नम्बर

V

नाम रैयत मय वल्दियत जमाबन्दी वो सकुनत। नम्बर। AA 5201227

| | |
|---|---|
| जोधपुर | श्री मती दुर्गा शर्मा |

राजी नकदी | अराजी भावली | तफसील हिसाब लगान भावली

| | | |
|---|---|---|
| S2.1 | सच्चिदानन्द | H0 जोधपुर निवास अंगत |

जोत का सालाना मांग मय तफसील (बकाया वो हाल) मोजुदा साल का।

| २०३. २०४ मांग बाबत | सालाना | बकाया | | | | हाल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | तीन बर्ष से ज्यादा | ३रा बर्ष | २रा बर्ष | १ला बर्ष | |
| माल- गुजारी (नकदी) | ०.७ | | | | ०.७ | ०.७ |
| माल- गुजारी (भावली) | ०.२५ | | | | ०.२५ | ०.२५ |
| सेस . . . | ०.५० | | | | ०.५० | ०.५० |
| *सूद . . . | ०.२५ | | | | ०.५० | ०.५० |
| मुतफरकात . . . | | | | | ०.२५ | ०.२५ |
| मीजान | २.५० | | | | २.५० | २.५० |

तफसील अदायकारी

| २०३. २०४ अदायकारी बाबत | बकाया | | | | मोतालवा हाल | फाजिल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | तीन बर्ष से ज्यादा | ३रा बर्ष | २रा बर्ष | १ला बर्ष | | |
| माल- गुजारी (नकदी) | | | | ०.७ | ०.७ | |
| माल- गुजारी (भावली) | | | | ०.२५ | ०.२५ | |
| सेस . . . | | | | ०.५० | ०.५० | |
| *सूद . . . | | | | ०.५० | ०.५० | |
| मुतफरकात . . . | | | | ०.२५ | ०.२५ | |
| मीजान अदायकारी | | | | २.५० | २.५० | |

(१) मीजान कुल (लफ्जों में) पांच २१५०।

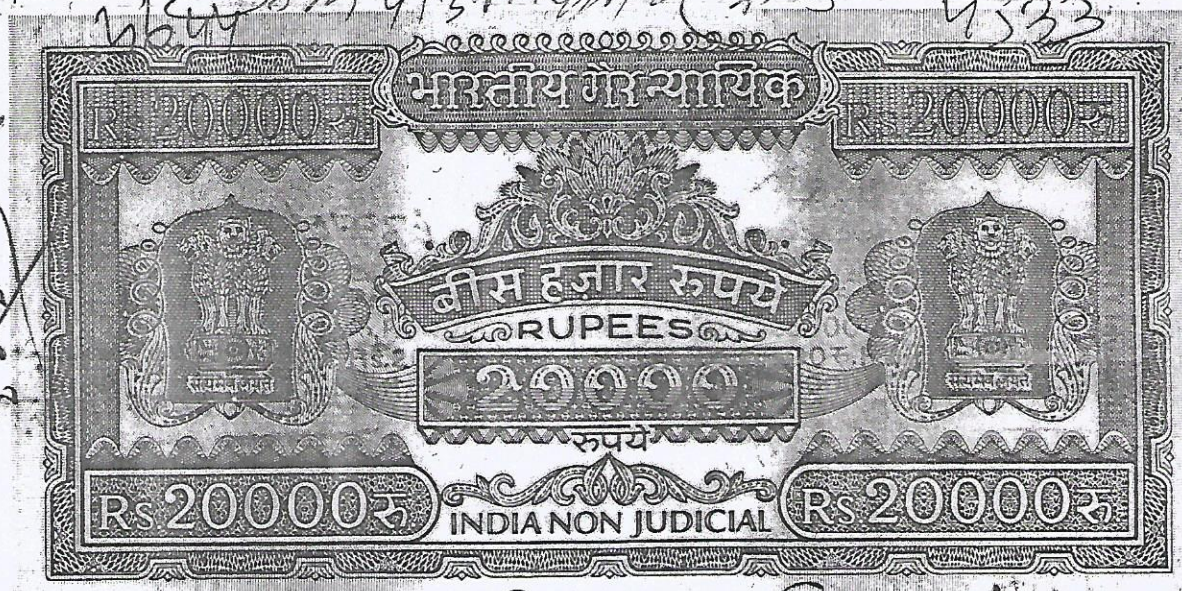
(२) नाम देहिन्दा- २०८।

(३) कुल बकाया- ५०

दस्तखत वो तारीख अमला तहसील कुनिन्दा

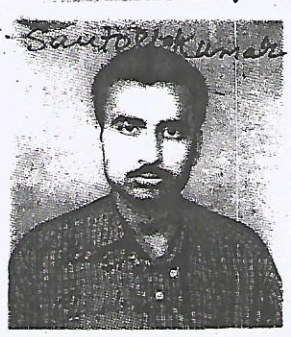
*खास महाल का बकाया मालगुजारी पर (सेवाय ऐसे बकायो पर जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो) सूद नहीं लिया जाता है।

AK Singh




02CC 930655





1. लेखकारीगण का नाम एवं पूरा पता—

1. श्री संतोष कुमार पिता— ~~स्व० कपिलदेव सिंह~~

2. श्रीमती संयुक्ता देवी धर्मपत्नि— स्व० कपिलदेव सिंह पेशा— खेती वो गृहणी साकिन— ~~दानापुर बिचलीगली~~ (कुर्मी टोला) थाना वो पोस्ट— दानापुर जिला— पटना, भारतीय नागरिक।

63710

20 JUN 2003

63710/-

श्री मती धर्मशीला देवी

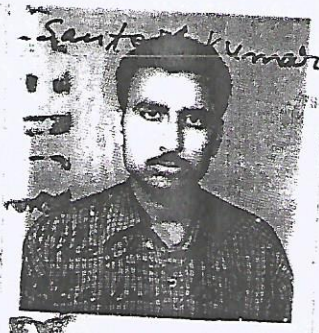
पिता/पति श्री उदय कुमार सिंह

पता "शिव नाथ भवन" ककड़बाग

ककड़बाग

पटना

235
20.6.03




सही - संतोष कुमार
7/08/2003

7.8.03





उपयुक्त श्री/श्रीमती संतोष कुमार / सुमुक्ता देवी

के पिता/पति का नाम

श्री उदय कुमार

हस्ताक्षर/निशान।

11/2/01.22/03

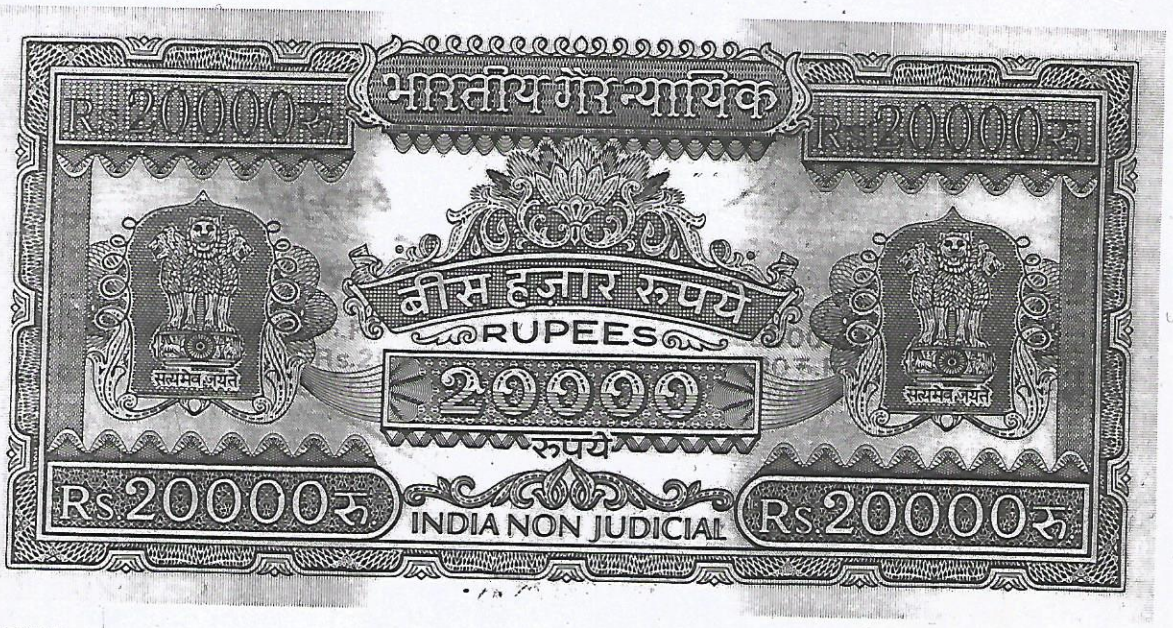
संतोष कुमार
7/08/2003





सुमुक्ता देवी 11/3/01.22/03

नवरत्न सिंह
7/08/2003






02CC 930654



2. लेख्यधारिणी का नाम एवं पूरा पता :–

श्रीमती धर्मशीला देवी धर्मपत्नि– श्री उदय कुमार सिंह पेशा– खेती वो मुहल्ली वो व्यवसाय, निवासी महल्ला– "शिवनाथ भवन" ककड़बाग, थाना वो पोस्ट– ककड़बाग, जिला– पटना भारतीय नागरिक।

3. लेख्य प्रकार :–

निर्विवाद बिक्रय–पत्र (Deed of Absolute sale)

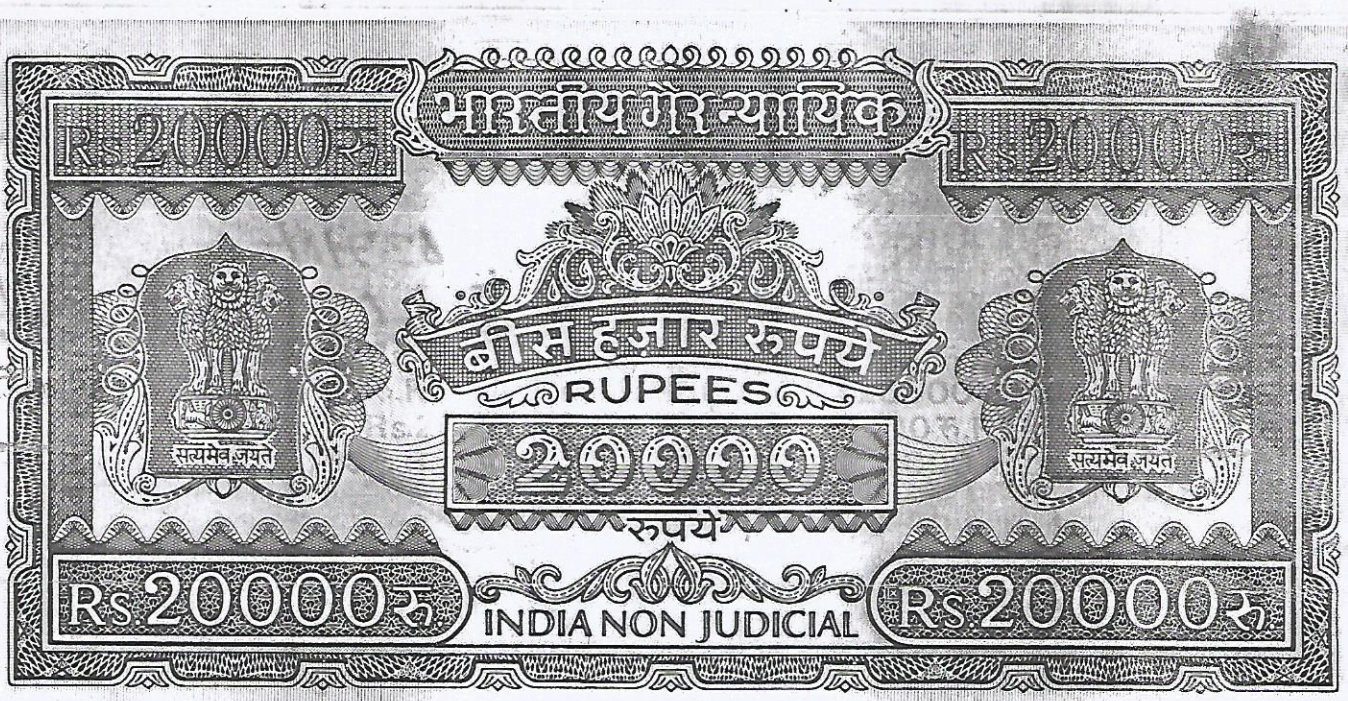
4. मूल्य :–

मो0 4,13,000/– चार लाख तेरह हज़ार रूपया मात्र होता है।

5. सम्पत्ति का विवरण :–

मवाजी 4 कट्ठा (चार कट्ठा) यानी 5444 वर्गफीट भूमि आवासीय मकान बनाने के लायक जिसका अधिकार कास्त रैयती कायमी नगदी वाके मौजा दानापुर शाहजादपुर परगना फुलवारी, थाना वो सब रजिष्ट्री दानापुर, सदर रजिष्ट्री वो जिला पटना। तौजी नं0– 5402 पाँच हज़ार चार सौ दो थाना नं0– 21 एक्कीस, खाता नं0– 384 तीन सौ चौरासी



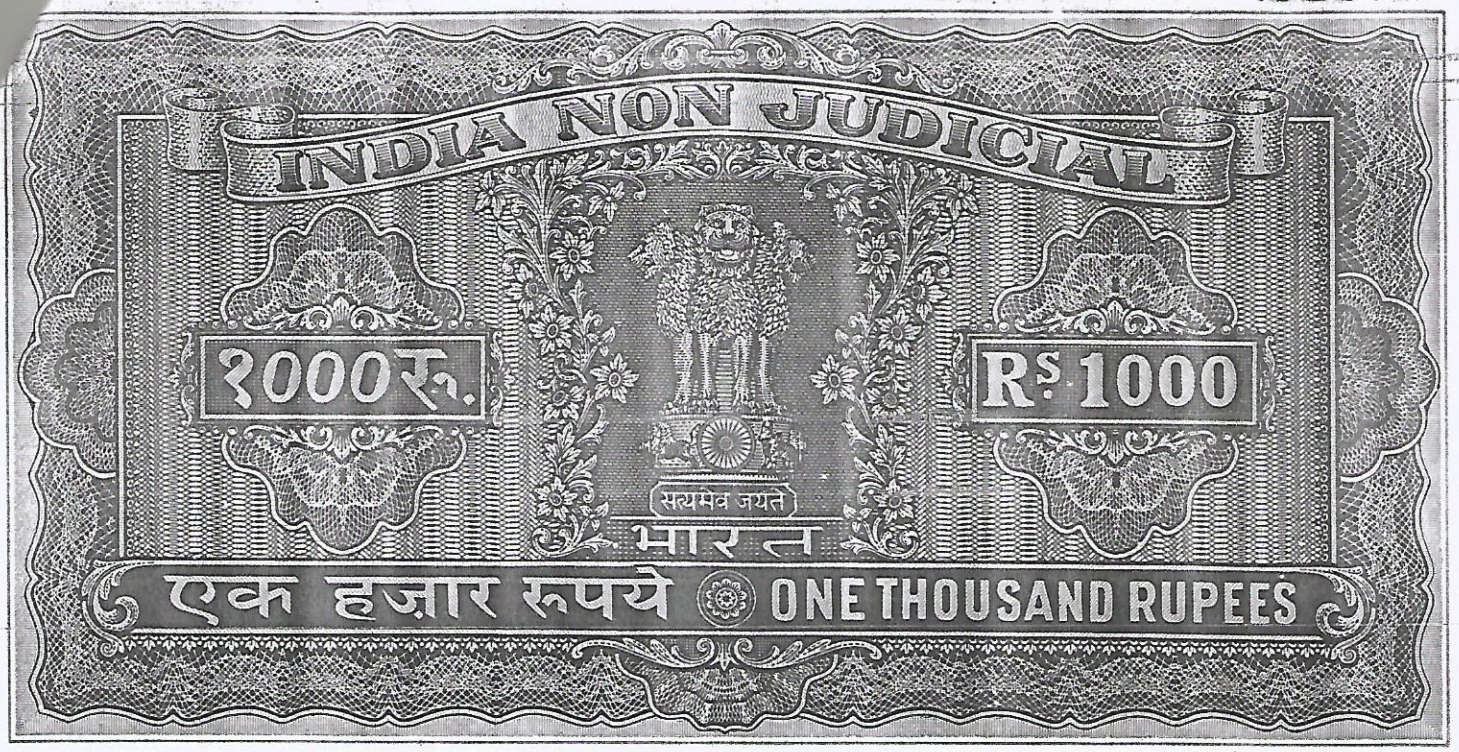



02CC 930653



सर्वे खेसरा प्लौट न0–1652 एक हजार छः सौ बावन,का अंश, लगान ~~वार्षिक 2.25 रूपया अलावे सेस बिहार~~ सरकार द्वारा अंचलाधिकारी, दानापुर, अन्दर विकास प्राधिकार क्षेत्र पटना में स्थित है । ~~यह कि खाना न0 5 में वर्णित~~ भूमि को बिक्री खरीद हेतु लेख्यकारीगण एवं लेख्यधारिणी ने तारीख– 26–04–2003 ई0 को सक्षम पदाधिकारी, भू हदबंदी (उप–समाहर्त्ता) पटना के कार्यालय में आवेदन ~~किया है~~, जिसका क्रमांक 3913/2003 ई0 है। साठ दिनों की अवधि समाप्त है। कोई आपत्ति नहीं है। ~~कार्यपालक दण्डाधिकारी~~ दानापुर का शपथ पत्र वोसिका के साथ संलग्न है। यह भूमि खास महाल के बाहर है। यह भूमि मेन बेली रोड, दानापुर से करीब एक हजार ~~फीट से अधिक~~ दूरी पर स्थित है। जमाबंदी न0– 3413 वो 3414 सन् 2001–2002 ई0 है।

A.K. Singh






## चौहद्दी

उत्तर :— नीज हाल में साथ खरीदार श्रीमती दुर्गा शर्मा पार्ट प्लौट नं0 1652

दक्षिण :— नीज हाल में साथ खरीदार श्री धन्नजय कुमार।

पुरब :— बीस फौट चौड़ा रास्ता जिसमें दस फौट चौड़ा रास्ता विकेतागण अपने जमीन में से छोड़े है, जो प्लौट नं0 1654, 1655 एवं 1652 में से होकर मुख्य सड़क में मिलती है। सस्ता प्लौट नं0 1652,1654 एवं 1655 में छोड़े है बाद पुनम गृह निर्माण समिति लि0 पटना।

पश्चिम :— प्लौट नं0 1642 वो 1641 श्री विन्देश्वरी प्रसाद सिंह एवं श्री कृष्ण प्रसाद सिंह ।

## संदर्भ

विदित हो कि खाना नं0 5 में वर्णित जायदाद (जमीन) लेख्यकारी नं0 1 का पैतृक एवं लेख्यकारी नं0 2 का पति का पैतृक सम्पत्ति है। जिसे लेख्यकारी के पति एवं भाई श्री गुरूदेव सिंह, पिता श्री रामचन्द्र सिंह, एवं माता— श्रीमती अजनाशो कुवँर, को तारीख— 03—08—1970 ई0 को श्री राम

श्री - संतोष कुमार
ता - 5/09/2003

Rs 1000/- 2-9-2003






निबंधन द्वारा बॉटकर खाना नं0 5 में वर्णित खाता खसरा कि कुल एराजी एक एकड़ आठ डीसमील खास हिस्सा में मिला था जिसका बुक नं0 1, जिल्द नं0 25, पेज नं0 567 से 574 वोसिका नं0 6330 निबंधन कार्यालय दानापुर है। बाद में श्री कपिल देव सिंह अपने माता पिता के स्वर्गवास के बाद पुन श्री गुरूदेव सिंह भाई से आपस में बॉटवारा कर अलग हो गये जिसमें खाना नं0 5 में वर्णित खाता खेसरा में एराजी 54 डीसमील के अलावा अन्य जायदाद खास हिस्सा में मिला । बाद में श्री कपिल देव सिंह तारीख 25-10-1991 ई0 को अपनी धर्मपत्नि श्रीमती सयुक्ता देवी से खाना नं0 5 में वर्णित खाता खेसरा के कुल एराजी के साथ सभी जायदाद का बॉटवारा कर अलग हो गये। लेख्यकारी नं0 1 अपने पिता के स्वर्गवास के बाद उनके जायदाद पर तथा लेख्यकारी नं0 2 अपने हिस्सा में मिले सभी जायदाद को हर तरह से अपने कब्जा दखल वो अधिकार में रखकर

1000Rs.

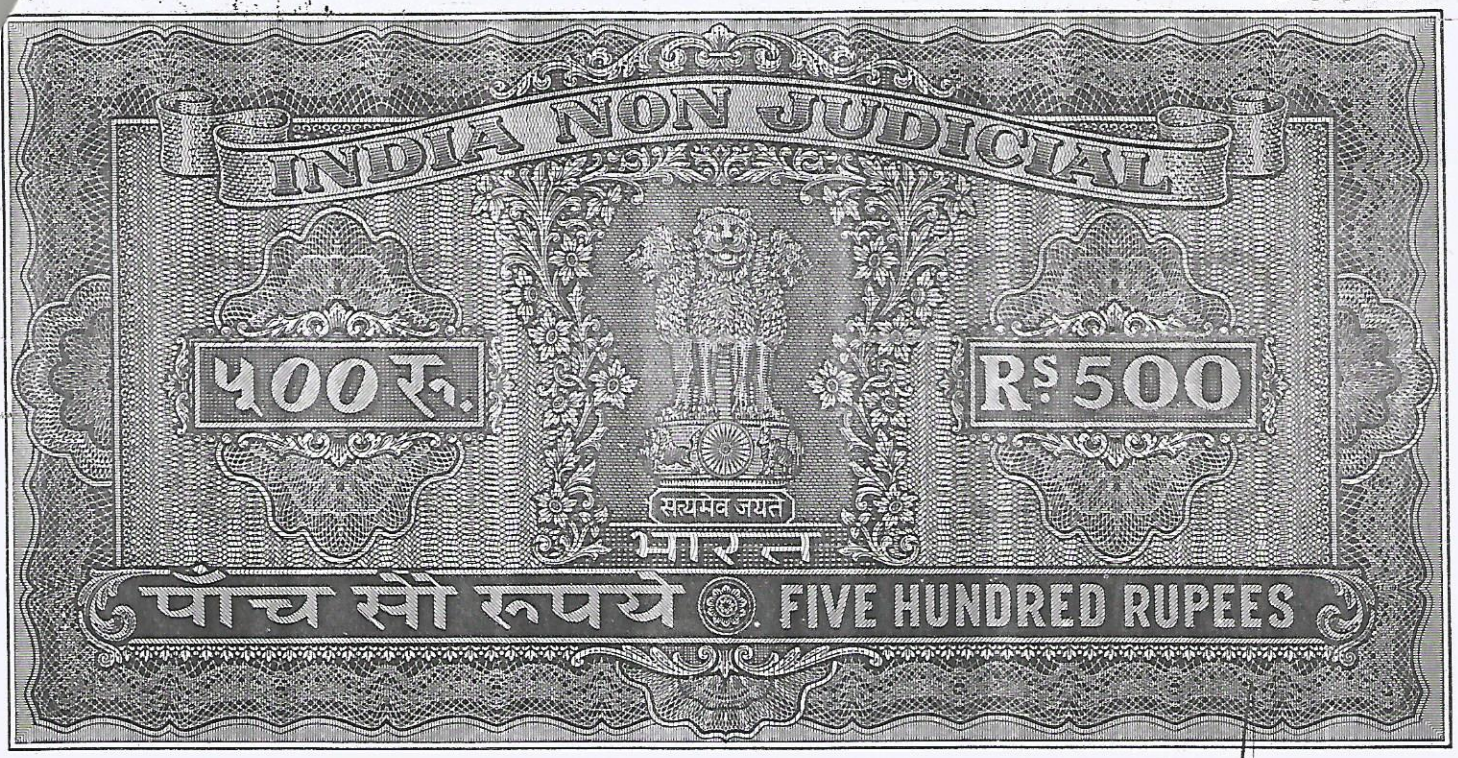





तथा मालिक होकर उपभोग करते चले आ रहे है। लेख्यकारीगण के अलावे दूसरा कोई भी व्यक्ति खाना न0 5 में वर्णित जायदाद के अधिकारी एवं मालिक नहीं है। खाना न0 5 में वर्णित जायदाद हर तरह से शुद्ध वो पवित्र तथा ऋण मुक्त है। लेख्यकारीगण खाना न0 5 में वर्णित जायदाद को कभी भी किसी के साथ रेहन, बैय तमसुक या किसी तरह का निबंधन नहीं किया है। बिहार सरकार का लगान श्री कपिल देव सिंह एवं लेख्यकारिणी न0 2 रसीद कटा कर चुकाते चले आ रह है। लेख्यकारीगण को मकान बनाने, व्यवसाय करने एवं अन्य जरूरी काम के लिए रूपयों की सख्त ~~जरूरत है। बिना खाना न0 5 में वर्णित जायदाद~~ को बेचे हुए शीध्र लेख्यकारीगण को रूपयों का प्रबन्ध नहीं हो सकता है।

अत लेख्यकारीगण ने अपने खुशी वो खाहिश से अपने होश वो हवाश में अपने हानि–लाभ को बखुबी सोच विचार कर स्वस्थ मानसिक अवस्था में ~~अच्छे मान्नीय वो कानूनी~~

500Rs.






मशविरान से राय सलाह लेकर खाना न0 5 में वर्णित जायदाद को मो0 4,13,000/-(चार लाख तेरह हजार रूपया) मात्र में लेख्यधारिणी (खरीदारा) के हाथ एवं साथ बेचा वो बैयलाकलामी किया वो कुल रूपया बोसिका पर अपना हस्ताक्षर बनाने के पहले लेख्यधारिणी से वसुल वो बेबाक पा चुका।

इस प्रकार कुल रूपया पाकर आज से ही लेख्यकारीगण ने अपना कुल कब्जा दखल वो अधिकार स्वामित्व वो स्वत्व खाना न0 5 में वर्णित जायदाद पर लेख्यधारिणी (खरीदारा) को दे दिया कि लेख्यकारीगण के स्थान पर हर तरह से काबिज-दखिल वो अधिकृत तथा मालिक होकर उपयोग एवं उपभोग करें। अब खाना न0 5 में वर्णित जायदाद पर

100Rs.






लेख्यकारीगण या इनके वारिशान का कोई दावा–दावी वो सरोकार बाकी नहीं है, नहीं रहा, नहीं रहेगा, बल्कि सम्पूर्ण हक वो अधिकार, स्वामित्व वो स्वत्व जो खाना न0 5 में वर्णित जायदाद पर लेख्यकारीगण को प्राप्त था या भविष्य में प्राप्त होता बिककर लेख्यधारिणी को प्राप्त हुआ किकाविज–दखिल वो अधिकृत तथा मालिक होकर अपना नाम लेख्यकारीगण के स्थान पर हर जगह जहां–जहां जरूरी समझे बिहार सरकार की जमीन्दारी विभाग की पुस्तिका में दर्ज करा लेवें। इसमें लेख्यकारीगण को कोई आपत्ति नहीं है, नहीं होगा।

दस्तखत - सतीश कुमार
5/10/2005

A K Singh

100Rs.






अगर खरीदारा किसी तरह लेख्यकारीगण के नुक्श हकियत से खाना नं० 5 मे वर्णित जायदाद से बेदखल ही जाये तो हक वो अधिकार है, वो होगा कि कुल जरसम्मन सूद कानूनी लगाकर लेख्यकारीगण के कुल सम्पत्ति से द्वारा नालिश अदालत कराके खर्चा हरजा सहित वसूल वो बेवाक करा लेवेगें। इसमें लेख्यकारीगण को कोई आपत्ति नहीं है, नहीं होगा। इसलिए निर्विवाद विक्रय पत्र लिख दिया कि समय पर प्रमाण रहे वो काम आवें।






प्रमाणित किया जाता है कि मूल वसिका एवं द्वितीय प्रति दोनों दस पृष्ठों में तैयार किया गया है, जो हू-बहू एक दुसरे के समान है, एवं लेख्यकारीगण एवं लेख्यधारिणी ने अपने-अपने बायें हाथ के अंगुलियों का निशान मेरे सामने बनाया।

दिनांक 05-08-2003 ई० बद्री लाल

प्रस्तुतकर्ता

Dhanmbhilu Devi



Badri Lal

बद्री लाल नाम-वंदमाती
दाल में मैंकपुर - थाना - दाणापुर (- पटना)
पेशा पांच पंक्ति दस से कलम ने अभिभावक के
लेख कमाने एवं पेशे नौ पंक्ति दो में दी
थोड़ा चा हुआ माना एवं पंक्ति चार में कलम कारकर
"आंशु पोंछ" लिखा नहीं है मूल दस्तावेज में लिखा

शर्मा देवी लाल देवी



Sch. XIX—F.No. 180 V.

रसीद मालगुजारी

नाम सर्कल। नाम मौजा मय थाना वो थाना नम्बर

V

बि०स०मु०, पटना। X
फरद मालकी/फरद रैयती। 99
नाम रैयत. मय वल्दियत वगैरह।
वो सकुनत। नम्बर। 00541666

| | | | |
|---|---|---|---|
| दमापुर | दमापुर 29 | श्रीमती चन्द्रशीला देवी | 90629 |

अराजी नगदी | अराजी भावली | तफसील हिसाब लगान भावली।

| | | |
|---|---|---|
| 4888 कट्ठे | पानि + उपय कुमार सिंह का हिस्सा भाग | |

जोत का सालाना मांग मय तफसील (बकाया वो हाल) मौजुदा साल का।

| सन् १९-१६ मांग बाबत | | सालाना | बकाया: तीन वर्ष से ज्यादा। | 3रा वर्ष। | 2रा वर्ष। | 1ला वर्ष। | हाल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मालगुजारी | (नकदी) | 2.22 | | | | 6.62 | 2.22 |
| | (भावली) | 0.60 | | | | 9.-0 | 0.60 |
| सेस | ... | 9.2- | | | | 3.60 | 9.2- |
| *सुद | ... | 9.2- | | | | 3.60 | 9.2- |
| मुतफरका | ... | 0.60 | | | | 9.-0 | 0.60 |
| मीजान | | 4.24 | | | | 16.44 | 4.24 |

तफसील अदायकारी।

| सन् २०१९-१६ अदायकारी बाबत | | बकाया: तीन वर्ष से ज्यादा। | 3रा वर्ष। | 2रा वर्ष। | 1ला वर्ष। | मोतालवा हाल | फाजिल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मालगुजारी | (नकदी) | | | | 6.62 | 2.22 | |
| | (भावली) | | | | 9.-0 | 0.60 | |
| सेस | ... | | | | 3.60 | 9.2- | |
| *सुद | ... | | | | 3.60 | 9.2- | |
| मुतफरकात | ... | | | | 9.-0 | 0.60 | |
| मीजान अदायकारी | | | | | 16.44 | 4.24 | 22.80 |

(1) मीजान कुल (लफ्जों में) — तेईस रु० अस्सी पैसे मात्र

(2) नाम देहिन्दा — 9

(3) कुल बकाया —

दस्खत वो तारीख अमला तहसील कुनिन्दा

*खास महाल का बकाया मालगुजारी पर (सेवाय ऐसे बकायों पर जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो) सूद नहीं लिया जाता।

बि.स.मु.(रसीद) 2014

14/5/15

AKSingh

96 6/18

गोपनीय प्रतिवेदन

# अंचल पदाधिकारी का कार्यालय

## ( भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र )

नाम श्रीमती चन्द्रशीला देवी ग्राम उप्प कुमारिह [illegible]

थाना ककड़वाड़ जिला पटना

| ग्राम का नाम एवं थाना संख्या | तौजी संख्या | खाता संख्या | खसरा संख्या | रकवा | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | एकड़ | डि० |
| पनापुर 21 | | 384 | 1652 | 5444 | |

आवेदक का हस्ताक्षर

कर्मचारी का प्रतिवेदन

कार्यालय का मुहर

अंचल पदाधिकारी का हस्ताक्षर